## Order sheet [Contd]

case No. CLAME 28 / 2017

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Pleaders
where
necessayry

## 10.02.20ऋ

प्रकरण क्मांक-28 / 17 कैलाश मण्डेलिया विरूद्ध सतीश दुबे एवं अन्य

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।

आवेदक **कैलाश मण्डेलिया** सहित श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता उप०।

अनावेदक कमांक 1, 3, व 4 अनिर्वाहित। अनावेदक कमांक 2 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।

अनावदेक क्रमांक 5 बीमा कम्पनी द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता उप0।

अनावेदक क0—5 की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क0—5 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें अनावेदक क0—5 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये। आवेदक को श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया।

बीमा कंपनी चोला मण्डलम एम०एस० जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किये गये।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक कैलाश मण्डेलिया को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रूपये 95,000 / –(पिन्च्यानवे हजार) रूपये अदा करेगी तथा अनावदेक कमाकं 01 लगायत 04 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवदेक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

1. अना.क.—05 बीमा कपंनी दुर्घटना में आवेदक कैलाश मण्डेलिया को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि 95,000 /—(पिन्च्यानवे हजार) रूपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।

- उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 95,000 / -(पिन्च्यानवे हजार) रूपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।
- अनावदेक कमाकं 01 लगायत 04 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।
- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे ।
- अधिवक्ता शुल्क 1,000 / –क्तपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा

(रविरमन वाजपेयी) सदस्य

(मुकेश कुशवाह) सदस्य

(मोहम्मद अजहर) पीटासीन अधिकारी लोक अदालत, ATTHORY PARETON TO THE PARETON TO THE PARETON TO THE PARETON PARETON PARETON PARETON TO THE PARETON PA खण्डपीठ कृ. 19

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
Again ain	necessayry

A Presiding A Pres ALIMANIA PATEIRO BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTING BUILTING